**संख्या-19/2015/617सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013**

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर के अधिष्ठान, आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय की मदों हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष हुई बचत के फलस्वरूप व्यावर्तन की अनुमति सहित वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1907सी0डी0/46-3-13-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 24 जुलाई, 2014 तथा शक्कर विशेष निधि समिति की दिनांक 11-03-2015 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रेषित अपने पत्र संख्या- 808/श0वि0नि0/दिनांक 24 मार्च, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश संख्या-1907सी0डी0/46-3-13-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 24 जुलाई, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर के अधिष्ठान, आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय की मदों हेतु कुल रू0 26,00,30,000 (रू0 छब्बीस करोड़ तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न मदों में हुई बचतों के सापेक्ष शोध परिषद द्वारा व्यावर्तन की अनुमति सहित विभिन्न मदों में धनराशि स्वीकृति किये जाने की मांग पर शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 11-03-2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर के अधिष्ठान व्यय, आवर्तक व्यय एवं अनावर्तक व्यय के विभिन्न मदों हेतु, **इस पत्र के संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार**, कुल रू0 2,77,09,832 (रू0 दो करोड़ सतहत्तर लाख नौ हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) को आहरित कर प्रभारी निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को उपलब्ध कराने एवं व्यावर्तन की अनुमति सहित व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति, उपरिलिखित शासनादेश संख्या-1907सी0डी0/46-3-13-3 (श0वि0नि0)/2013, दिनांक 24 जुलाई, 2014 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि रू0 2,77,09,832 (रू0 दो करोड़ सतहत्तर लाख नौ हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में, प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-"2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0301-उ0प्र0 गन्ना अनुसन्धान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान - 42- अन्य व्यय" के नामे रू0 49,77,634 (रू0 उन्चास लाख सतहत्तर हजार छः सौ चौतीस मात्र),

------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-''2852-उद्योग-आयोजनेत्तर -08-उपभोक्ता उद्योग- 201- चीनी- 04- उ0प्र0

के अभावग्रस्त शक्कर फैक्ट्रियों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने हेतु ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय'' के नामे रू0 88,69,000 (रू0 अट्ठासी लाख उनहत्तर हजार मात्र) तथा अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-"2852-उद्योग-आयोजनेत्तर-08- उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-05-उ0प्र0 कल्याण निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय'' के नामे रू0 1,38,63,198 (रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख तिरसठ हजार एक सौ अट्ठानवे मात्र) आहरित किया जायेगा।

**सलंग्नकः-यथोपरि।**

भवदीय

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

**संख्या-19/2015/ 617(1)सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा हकदारी प्रथम लेखा परीक्षा प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- सँयोजक, उ0 प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
5- निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाईल ।

**सलंग्नकः-यथोपरि।**

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश संख्या-19/2015/ 617 सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013 दिनांक: 26 मार्च , 2015 का संलग्नक**

**(स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार विवरण)**

| क्र0 सं0 | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| **अ** | **अधिष्ठान मद** | |
| 1 | उपाध्यक्ष महोदय के मानदेय, स्टाफ वेतन, यात्रा भत्ता एवं वाहन व्यय | 1,54,234 |
| 2 | वेतन एवं अन्य व्यय | 31,73,214 |
| 3 | महंगाई भत्ता | 18,58,984 |
| | **योग** | **51,86,432** |
| **ब** | **आवर्तक मद** | |
| | सम्परीक्षा शुल्क | 11,44,400 |
| | **योग** | **11,44,400** |
| **स** | **अनावर्तक मद ( आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत )** | |
| 1 | सेवरही संस्थान के टाइप -2 स्पेशल -36 आवासों की विशेष मरम्मत | 36,79,000 |
| 2 | सेवरही संस्थान के कृषक हास्टल अवशेष मरम्मत का कार्य | 49,62,000 |
| 3 | गोला प्रक्षेत्र पर कृषि महाविद्यालय से बैलखाना तक बाउण्ड्री वाल का निर्माण | 38,69,000 |
| 4 | गोरखपुर केन्द्र - सिंचाई हेतु अण्डरग्राउण्ड पाइपलाइन-3971 मीटर | 17,76,720 |
| 5 | लक्ष्मीपुर-कुशीनगर केन्द्र- सिंचाई हेतु अण्डरग्राउण्ड पाइपलाइन-4030 मीटर | 18,03,120 |
| 6 | कटया-सादात केन्द्र - सिंचाई हेतु अण्डरग्राउण्ड पाइपलाइन-4022 मीटर | 17,99,330 |
| 7 | अमहट सुल्तानपुर केन्द्र - सिंचाई हेतु अण्डरग्राउण्ड पाइपलाइन-1644 मीटर | 7,35,680 |
| 8 | गोला-खीरी केन्द्र - सिंचाई हेतु अण्डरग्राउण्ड पाइपलाइन-6300 मीटर | 27,54,150 |
| | **योग** | **2,13,79,000** |
| | **महायोग ( अ$ब$स)** | **2,77,09,832** |

**(रू0 दो करोड़ सतहत्तर लाख नौ हजार आठ सौ बत्तीस मात्र )**

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।